



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/833 /परीक्षा समन्वय/2018

भोपाल दिनांक 02/08 /2018

// आदेश //

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा शिक्षण सत्र 2018-19 में आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी एवं व्यावसायिक परीक्षाओं के आवेदन पत्र मान्यता प्राप्त संस्थाओं के नियमित छात्रों के प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका पुस्तिका आदेश क्रमांक 785-86 दिनांक 22.06.2018 जारी की गई है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 44-10 पार्ट 4/2018/20-2 भोपाल दिनांक 24.03.2018 एवं क्रमांक एफ 44-10 /2018/20-2 भोपाल दिनांक 30.07.2018 द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं में अध्ययनरत "पंजीकृत असंगठित श्रमिकों" के बच्चों से मण्डल द्वारा परीक्षा/नामांकन शुल्क नहीं लिया जाएगा, सामान्य एवं ओ.बी.सी. छात्रों की एकजाई शुल्क की प्रतिपूर्ति मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र की शुल्क संबंधित विभाग जनजातीय तथा अनुसूचित जाति विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल, को की जावेगी।

उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में समस्त मान्यता/संबद्धता प्राप्त शासकीय शालाओं में अध्ययनरत "पंजीकृत असंगठित श्रमिकों" के छात्रों द्वारा मण्डल द्वारा लिया जाने वाला सम्पूर्ण परीक्षा शुल्क एवं नामांकन शुल्क प्रदाय नहीं किया जावेगा। प्राचार्य का दायित्व होगा की ऐसे छात्रों की सूची मण्डल एवं स्कूल शिक्षा विभाग को आवेदन भरने की निर्धारित तिथि के समय उपलब्ध कराये, ताकि उक्त राशि की प्रतिपूर्ति सूची अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, शासन द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल को, की जा सके।

31/4
सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,
भोपाल

भोपाल, दिनांक: 02 /08 /2018

पृष्ठांकन क्रमांक/834 /परीक्षा समन्वय/2018

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 2- निज सचिव-अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल।
- 3- निज सहायक-प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति/अनु. जाति, कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 4- कमिश्नर, समस्त राजस्व संभाग, मध्यप्रदेश।
- 5- आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल
- 6- आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
- 7- आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
- 8- संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल
- 9- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 10- समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
- 11- संयुक्त संचालक, शिक्षा समस्त, मध्यप्रदेश।
- 12- सहायक आयुक्त, समस्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
- 13- समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 14- माननीय मण्डल सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश।
- 15- आंचलिक अधिकारी/समस्त, संभागीय अधि./समस्त स.स./क.अ. परीक्षा संभाग एवं लोक सूचना कक्ष।
- 16- पंजीयक परीक्षा/जनसम्पर्क अधि./विधि अधिकारी/सी.एस.ओ./वित्ताधिकारी, मा.शि.मंडल भोपाल।
- 17- नि.स.- सचिव/अतिरिक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक/उपसचिव मा.शि.म.मंडल।
- 18- प्राचार्य, समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थायें, मध्यप्रदेश।
- 19- लोक सूचना अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

31/4
सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,
भोपाल